



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन. एच. बाइपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्चिन - 682 025, भारत

सं. विपणन-नीलामी/सामान्य/1/2021-23

17.11.2023

परिपत्र

विषय: इलायची ई-नीलामी - इलायची उत्पादकों के लिए भुगतान

इलायची अनुज्ञापन और विपणन नियम 1987 और उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार, "नीलामकर्ता प्रत्येक नीलामी के संबंध में नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर बोलीदाताओं से भुगतान राशि वसूल करेंगे और नीलामी की तारीख से 10 दिन के भीतर उत्पादकों को देय राशि चुकाएँगे और बोर्ड की संतुष्टि के लिए बिना किसी कारण के निर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्पादकों को देय राशि की गैर-अदायगी शर्तों का उल्लंघन होगा।"

यह बोर्ड के ध्यान में आया है कि नीलामकर्ता उत्पादकों को विलंबित भुगतान कर रहे हैं।

इसलिए नीलामकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी उत्पादकों को भुगतान नीलामी के 10 दिन के भीतर किया है। इस के संबंध में कोई उल्लंघन गंभीर माना जाएगा और इलायची अनुज्ञापन और विपणन नियम 1987 और उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक (विपणन)

सेवा में,

सभी लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्ता

प्रति लिपि: सहायक निदेशक- पुट्टडी / बोडिनायकनूर